



## लघु जोतधारक तथा कृषि विपिणन

### प्रिलमिस के लिये:

कृषि जोत के प्रकार

### मेन्स के लिये:

लघु जोतधारक तथा कृषि विपिणन

## चर्चा में क्यों?

COVID-19 महामारी के तहत लगाए गए लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है, ऐसे में कृषि को पुनः आर्थिक विकास के इंजन और महत्वपूर्ण उपशामक के रूप में चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

## प्रमुख बंदि:

- वित्त मंत्री द्वारा COVID-19 महामारी आर्थिक पैकेज के रूप में कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण के लिये कृषि अवसंरचना को मजबूत करने तथा कृषि शासन संबंधी सुधारों के लिये अहम उपायों की घोषणा की गई थी।
- इस आर्थिक पैकेज के एक भाग के रूप में कृषि क्षेत्र में शासन एवं प्रशासन से संबंधित भी अनेक सुधारों की घोषणा की गई थी।

## कृषि संबंधी सुधारों की घोषणा:

- हाल ही में कृषि क्षेत्र में नमिनलखिति व्यापक परिवर्तनकारी सुधारों को लागू किया है:
- 'आवश्यक वस्तु अधिनियम'-1955 में संशोधन;
- 'कृषि उपज व्यापार और वाणजिय (संवर्द्धन और सुवधि) अध्यादेश', (Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance)- 2020;
- कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता का आश्वासन;
- कृषि विपिणन सुधार।

## कृषि सुधारों का उद्देश्य:

- कृषि सुधारों के माध्यम 'किसान प्रथम' (Farmer First) अर्थात किसान को नीतियों के केंद्र में रखकर कार्य किया जाएगा जिनके नमिनलखिति उद्देश्य हैं:
  - कृषि-सेवाओं में रोजगार उत्पन्न करना;
  - विपिणन चैनलों में विकल्पों को बढ़ावा देना;
  - 'एक राष्ट्र एक बाजार' की दिशा में कार्य करना;
  - अवसंरचना का विकास;
  - मार्केट लिकेज;
  - फनिटेक और एगटेक में निवेश आकर्षित करना;
  - खाद्य फसलों के स्टॉक प्रबंधन में पूर्वानुमान पद्धत को अपनाना।

## लघु जोतधारकों की स्थिति:

- सामान्यतः 2 हेक्टेयर से कम भूमि धारण करने वाले किसानों को लघु जोतधारक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	समूह	भूमिधारण (हेक्टेयर में)
1	सीमांत	< 1.0 हेक्टेयर
2	लघु	1.0 < 2.0 हेक्टेयर
3	अर्द्ध-मध्यम	2.0 < 4.0 हेक्टेयर
4	मध्यम	4.0 < 10.0 हेक्टेयर
5	वृहद	10.0 हेक्टेयर से अधिक

- लगभग 85% किसान लघु तथा सीमांत जोतधारक हैं।

## लघु जोतधारकों की समस्याएँ:

- किसानों के लिये अपनाई जाने सार्वजनिक नीतियों के प्रभाव तथा खेत के आकार में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात् इन नीतियों का छोटे जोतधारक किसानों पर वपिरीत प्रभाव होता है।
- **खाद्य सुरक्षा प्रभावित:**
  - कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से अपनाई गई नीतियों यथा- कृषि आगतों को आपूर्ति, कृषि विस्तार सेवाएँ आदि लघु जोतधारकों की प्रतिस्पर्द्धा क्षमता तथा खुद को बाज़ार में बनाए रखने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। जिससे देश की खाद्य प्रणाली भी प्रभावित होती है।
- **कम आय की प्राप्ति:**
  - लघु जोतधारकों की आय राष्ट्रीय औसत आय से बहुत कम है। लघु जोतधारकों की प्रतिव्यक्ति आय 15,000 रुपए प्रतिवर्ष है। यह राष्ट्रीय औसत आय के पाँचवे हिस्से के बराबर है।
- **औपचारिक बाज़ार तक पहुँच का अभाव:**
  - भारत में लगभग लगभग 220 बिलियन डॉलर के वार्षिक कृषि उत्पाद सीमांत खेतों पर उगाया जाता है तथा इसे लगभग 50 कमी. के दायरे में अनौपचारिक बाज़ारों में बेच दिया जाता है।
  - औपचारिक (सार्वजनिक खरीद सहित) और अनौपचारिक बाज़ारों के सह-अस्तित्व के कारण कृषि उत्पादों तक पहुँच और मूल्य स्थिरता दोनों प्रभावित होती है।
  - लघु जोतधारक किसानों को फसलों का अच्छा बाज़ार मूल्य तथा खरीददारों के विकल्प नहीं मिल पाते हैं।
- **अवसंरचना का अभाव:**
  - 'बाज़ार तक फसल उत्पादों को लाने के लिये पर्याप्त लॉजिस्टिक संरचना का अभाव है। बड़े बाज़ारों और नगरों से भौतिक दूरी अधिक होने पर लघु जोतधारकों की आय में कमी होती है।

## सुधारों की आवश्यकता:

### वपिणन प्रणाली तथा अवसंरचना में सुधार:

- अच्छी तरह से वनियमिती बाज़ार की दृष्टि में नमिनलखित सुधारों को लागू करने की आवश्यकता है:
  - सुरक्षा और सस्ती भंडारण सुविधा;
    - भंडारण सुविधाओं में वृद्धि, बड़े कृषि प्रसंस्करण उद्यमियों, खुदरा विक्रेताओं को आकर्षित करेगी।
  - गुणवत्ता प्रबंधन प्रौद्योगिकी;
    - कार्यशील पूंजी;
    - कृषि उत्पादन तथा जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़े जोखिमों से सुरक्षा की व्यवस्था।
    - उदाहरण के लिये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म आधारित कृषि प्रबंधन प्रणाली सूचना संबंधी बाधाओं को दूर करते हैं। ये प्लेटफॉर्म ऋण पहुँच, जोखिम प्रबंधन, मौसम जानकारी, फसल प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करते हैं।
    - 10,000 'किसान उत्पादक संगठनों' (Farmer Producer Organisations- FPOs) की स्थापना जैसे मशिन लघु जोतधारकों को 'बाज़ार आधारित कृषि उत्पादन की दृष्टि में प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

### ई-मार्केटप्लेस जैसी पहलों की आवश्यकता:

- ज़िला प्रशासन पर वाणजियिक विवाद नपिटानों का समाधान करने के लिये पर्याप्त संसाधनों का अभाव है।
- प्रतिपक्ष जोखिम प्रबंधन के लिये एक उचित समाशोधन और नपिटान तंत्र की आवश्यकता है। इस दृष्टि में ई-मार्केटप्लेस जैसी पहल को लागू किया जाना चाहिये।

### उत्पादों की गुणवत्ता का निर्धारण:

- ऑनलाइन बिक्री की दृष्टि में छोटे जोतधारकों को मानक ग्रेड और गुणवत्ता-आधारित संदर्भ मूल्य अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिये कृषि वपिणन विस्तार सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिये।
- सभी खाद्य मानक कानूनों और वभिन्न व्यापार मानकों को अच्छे उत्पादों की आपूर्तिकी समझ के साथ संरेखित किया जाना चाहिये।

### गैर-अनाज फसलों संबंधी पहल:

- गैर-अनाज फसलों के साथ जुड़े जोखिमों और ऋण का प्रबंधन करने के लिये नवाचारी उपायों को अपनाना चाहिये ताकि इसका लाभ लघु जोत धारकों को मलि सके ।

### **पशुधन को महत्त्व:**

- पशुधन का भारत की कृषि जीडीपी में 30% योगदान है, अतः बाज़ार तथा पशुधन के मध्य भी बेहतर समन्वय बनाने की आवश्यकता है ।

### **अंतर-राज्य समन्वय:**

- कृषि राज्य सूची का वषिय है, अतः कृषि क्षेत्र में बेहतर अंतर-राज्य समन्वय को लागू कयिा जाना चाहयि ।

### **नषिकर्ष:**

- कृषि क्षेत्र में नवीन सुधारों को लागू करने से कृषि उत्पादकों, मध्यस्थों तथा उपभोक्ताओं के मध्य बेहतर समन्वय हो पाएगा तथा लघु जोतधारकों को भी अपने उत्पादों पर बेहतर रटिरन मलि सकेगी तथा इससे भूगोल द्वारा उत्पन्न सीमाएँ महत्त्वहीन हो जायेगी ।

### **स्रोत: इकनॉमिक टाइम्स**